फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

राजेन्द्र बनाम हनुमान वगैरह

किस्म मुकदमाः–212 आरटीए प्रकरण संख्याः–173/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा मघा वल्द लामु कौम जाट के नाम से चक 11 एसपीडी–ए के नाम तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 41/39 के पत्थर नं. 90/377 (4) की 3.365 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रार्थी के पिता को प्रार्थी के दादा के फौत होने के पश्चात् विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता के 3 पुत्र व 1 पुत्री है जिनमें एक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 है। पिता को विरास्तन प्राप्त रकबा में पुत्र–पुत्रियां उनके जीवनकाल में पिता के बराबर हक व हिससा की हकदार है। प्रार्थी के पिता के 4 पुत्र/पुत्रीयां है, जो कि प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि के हकदार है। प्रार्थी के पिता हनुमान पुत्र मघाराम को अप्रार्थी संख्या 2–3 ने बहकावे में लेकर अपने पक्ष में एक दान पात्र दिनांक 26.05.2023 को करवा लिया है। जिसका नामान्तकरण भी दिनांक 02.06.2023 को दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता को विरास्तन प्राप्त भूमि का दान पात्र करवाने का कोई हक व अधिकार नही था। प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2–3 के पक्ष में किया गया दान पात्र प्रार्थी के हितों पर निष्प्रभावी शुरू से शून्य होने से प्रार्थी अपने पिता को प्राप्त विरास्तन रकबा में 1/5 हिस्सा घोषित करवाने का कानूनी रूप से हकदार है। प्रार्थी के दादा के फौत होने के पश्चात् प्रार्थी अपने हिस्सा के रकबा पर काबिज होकर लगातार काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 का नाम रिकार्ड में होने से अप्रार्थी संख्या 2–3 ने उन्हे अपने बहकावें में लेकर अपने पक्ष में दान–पात्र निष्पादित करवा लिया है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उक्त रकबा पर से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा ना पुरा होने वाला नुकसान साबित है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 16.08.2023 को जारी टी0आई0 वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1–3 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता मघाराम के नाम से कुल आठ वारिस थे। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता मघाराम से 1/8 हिस्सा प्राप्त हुआ है। जिसके मुताबिक अप्रार्थी संख्या–1 को अपने पिता जैरवाद रकबा 6.325 हैक्टर में 1/8 हिस्सा यानि 0.790 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। शेष रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी माता और बहनों से हकत्याग से प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 की माता व बहन को प्राप्त रकबा उनका स्वअर्जित रकबा माना जाता है जो उन्होने अपनी स्वेच्छा से अपना स्वअर्जित रकबा अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य वारिसान को हकत्याग किया गया है। जिसमें प्रार्थी किसी प्रकार का कोई भी हक व हिस्सा पाने का हकदार नही है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त 1/8 हिस्सा में हक व हिस्सा पाने का ही हकदार है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या को अपने पिता मघाराम से नोशनल शेयर के रूप में 0.790 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्य रकबा अप्रार्थी संख्या 1 की माता व बहनों के स्वअर्जित रकबा का हकत्याग से प्राप्त है जिसमें प्रार्थी हक पाने का कतई हकदार नही है। प्रार्थी कभी सहदायी परिवार का सदस्य नही रहा है व ना ही अपने दायित्वों का निर्वाहन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार व कानूनी प्रावधानों से बाहर होने व किसी भी प्रकार का कोई भी कब्जा कास्त नही होने के कारण निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। चक 11 एसपीडी–ए की जमाबंदी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 41/39 की 3.365 हैक्टर कमाण्ड भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। जिसमें प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज है। इससे पूर्व में यह रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता मघाराम के नाम अंकित था। मघाराम के नाम से 6.325 हैक्टर रकबा दर्ज था। जिसमें से 1/8 हिस्सा यानि 0.790 हैक्टर रकबा प्रार्थी के पिता हनुमान को प्राप्त हुआ है। शेष रकबा अप्रार्थी संख्या–1 को अपनी माता व बहन से जरिये हकत्याग प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रार्थी अपने पिता को दादा से प्राप्त 1/8 हिस्सा यानि 0.790 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा का दावा करने का हकदार है। इसलिये प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर चक 11 एसपीडी–ए की जमाबंदी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 41/39 की 3.365 हैक्टर कमाण्ड भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 हनुमान पुत्र मघाराम के हिस्सा में से 0.158 हैक्टर भूमि को वाद पत्र के निर्णय तक रहन व बैय ना करें। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़